

pan>

Title: Introduction of the Distressed and Neglected Widows and Divorced Women (Maintenance, Support And Welfare) Bill, 2015.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यथित, उपेक्षित, दरिद्र, गरीबी अथवा नःशक्तता से ग्रस्त विधवाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं की जाति, पंथ या धर्म को ध्यान में लिए बिना उन्हें भिक्षावृत्ति से मुक्त करने, पेशे के तौर पर भजन गाने और देह व्यापार, शोभाण से मुक्त कराने के लिए भरणपोषण, वित्तीय और अन्य उपेक्षित समर्थन के माध्यम से उन्हें सुरक्षा आवरण प्रदान करने तथा उनके लिए राज्य द्वारा कल्याणकारी उपाय लागू किए जाने तथा तत्संज्ञक और उसक आनुवंशिक विचार्यों का उपबंध करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protective umbrella through maintenance, financial and other requisite support withdrawal from begging, chanting of bhajan as profession and flesh trade, freedom from exploitation and for the welfare measures to be undertaken by the State for the distressed, neglected, indigent, poverty or infirmity stricken widows and divorced women irrespective of their caste, creed or religion and for matters connected therewith and incidental thereto. "

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.58 hours